प्र.सं. 67 / दावा / प्र.पत्र / 2023

	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
...24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. प्राथमिक डिक्री रिपोर्ट अप्राप्त पुन: लिखा जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार प्राथमिक डिक्री रिपोर्ट दि. 15/2/24 को पेश हो।	
15/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. प्राथमिक डिक्री रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली वास्ते परीक्षण प्राथमिक डीक्री रिपोर्ट दिनांक 22/2/24 को पेश हो।	
22/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. प्राथमिक डिक्री रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 12/3/24 को पेश हो।	
9/3/24	पत्रावली आज लो. अदालत मे पेश हुई। प्राथमिक डिक्री पर अनापत्ति जाहिर किये जाने से अन्तिम डीक्री जारी की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच संख्या....01......... अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच संख्या....01.......... सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट तालेडा (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी सिंह R.A.S

...म नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
.../दावा/2023	10.07.2023	29.01.2024

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री धम्मनराम उम्र व्यस्क जाति बैरवा निवासी मानसरोवर अजमेर जिला अजमेर

......वादी

बनाम

1. रोशनबाई पत्नि स्व. धन्नालाल जाति नायक निवासी बाजड तह0 तालेडा जिला बून्दी
2. मनमोहन पुत्र धन्नालाल नाबालिग जर्ये संरक्षक माता रोशनबाई पत्नि धन्नालाल जाति नायक निवासी बाजड तह0 तालेडा जिला बून्दी
3. राधेश्याम पुत्र श्रवण लाल जाति नायक निवासी बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी
4. शांतिबाई पत्नि लछमन जाति नायक निवासी बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी जिला बून्दी (राज0)
6. राजी पत्नि महावीर जाति बैरवा निवासी देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी

...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्तावादीः– श्री नन्द सिंह सोंलकी

अधिवक्ता प्रतिवादीः– श्री अनिल खीडिया

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट

वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 व 6 की विधिवत अविभाजित कृषि 1236 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, ख0सं0 1257 रकबा 2.0477 हैक्टेयर वाके ग्राम बाजड तह0 तालेडा में विस्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि में वादी का 2:5 हिस्सा निहित है इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 1 का 1/10 हिस्सा प्रतिवादी सं02 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 4 का 1/5 हिस्सा निहित है। जो कि अविभाजित कृषि भूमि है। वादी एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित आराजी पर आपसी सहमति से मौके पर काबिज काश्त है जिसका अभी तक माप सीमांकन के आधार पर बटवारा नही हुआ है। जिससे वादी को भूमि का विकास करने, लोन प्राप्त करने तथा अन्य कार्य हेतु अनेक समस्याओं का सामना करना पड रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण को अनेको बार वर्तमान भोतिक स्थिति के अनुसार अर्थात काश्त अनुसार सहमति बटवारा तहसील में करवा लेते है किन्तु प्रतिवादीगण हमेशा टालमटोल करते रहे कि निकट भविष्य में कब्जा काश्त अनुसार विधिवत विभाजन करवा लेंगे। किन्तु दिनांक 21.6.2023 को अन्तिम बार निवेदन करने पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने बटवारा से इन्कार कर दिया तथा वादी को जबरन बेदखल करने की धमकी लगाई। तब वाद कारण उत्पन्न हुआ।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद पत्र वाद वर्णित तथ्यों के आधार पर स्वीकार फरमा कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय का निर्णय व डिक्री जारी की जावे कि–

वादी को कृषि भूमि ख0सं0 1236 रकबा 0.4856 हैक्टे0, ख0सं0 1257 रकबा 2.0477 हैक्टे0 वाके ग्राम बाजड में 2/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं वादी के 2/5 हिस्से को पृथक से माप एवं सीमांकन के आधार पर प्रतिवादीगण से विधिवत विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के लिए तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वादी को उक्त वाद वर्णित कृषि भूमि में अपने हिस्से से जबरन बेदखल नही करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो वादी को प्रदान की जावे।

... [illegible] जमाबन्दी से राधेश्याम आ0 श्रवणलाल ने अपना हिस्सा 1/5 राजी पत्नि महावीर बैरवा को बेचान करना पाया जाने से वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 स्वीकार कर 6 राजी पत्नि महावीर जाति बैरवा निवासी देहित को प्रतिवादी बनाया गया। वादी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया जिसमे प्रतिवादी सं0 6 राजी पत्नि महावीर जाति बैरवा निवासी देहित अंकित की गई।

प्रतिवादी सं0 6 को जर्ये नोटिस तलब किये जाने पर जर्ये अभिभाषक जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा राधेश्याम आ0 श्रवणलाल जाति बेरवा के हिस्से की भूमि कय कर ली गई है एवं काबिज कास्त है। जवाबकर्ता बटवारा कराने के लिए तैयार है।

साक्ष्य में वादी की ओर से नकल जमाबन्दी खाता सं0 321 ग्राम बाजड संवत् 2076 की प्रति पेश की।

...द पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ... जवाब दावा पेश नही करने से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

दौराने वाद वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0 दी0 पेश कर निवेदन किया कि राजी पत्नि ...वीर जाति बैरवा निवासी देहित ने प्रतिवादी सं0 3 राधेश्याम पुत्र श्रवणलाल जाति बैरवा नि0 विनायका ... क्रय कर ली गई है। इस कारण प्रतिवादी सं0 6 राजी पत्नि महावीर जाति बैरवा निवासी देहित को सहखातेदार होने के नाते बटवारा के वाद में आवश्यक पक्षकार है जिसे प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करने पर नकल जमाबन्दी से राधेश्याम आ0 श्रवणलाल ने अपना हिस्सा 1/5 राजी पत्नि महावीर बैरवा को बेचान करना पाया जाने से वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 स्वीकार कर 6 राजी पत्नि महावीर जाति बैरवा निवासी देहित को प्रतिवादी बनाया गया। वादी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया जिसमे प्रतिवादी सं0 6 राजी पत्नि महावीर जाति बैरवा निवासी देहित अंकित की गई।

प्रतिवादी सं0 6 को जर्ये नोटिस तलब किये जाने पर जर्ये अभिभाषक जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा राधेश्याम आ0 श्रवणलाल जाति बेरवा के हिस्से की भूमि क्रय कर ली गई है एवं काबिज कास्त है। जबावकर्ता बटवारा कराने के लिए तैयार है।

साक्ष्य में वादी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 321 ग्राम बाजड संवत् 2076 की प्रति पेश की।

बहरा उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज नकल जमाबन्दी खाता सं0 321 ग्राम बाजड संवत् 2076 में वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 व 6 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार होने से बंटवारा करवाने का अधिकारी है। अतः वाद–वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेश दिया जाता है कि वह वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 व 6 के मध्य नकल जमाबन्दी खाता सं0 321 वाके ग्राम बाजड संवत् में वर्णित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के तहत विवादित कृषि भूमि का मौके पर कब्जा काश्त एवं उनके निहित हिस्सानुसार प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें ।

प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। बैंक का यदि कोई रहन हो तो रहन यथावत रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

... राधेश्याम आ0 श्रवणलाल ने अपना हिस्सा 1/5 राजी पत्नि महावीर बैरवा को बेचान करना पाया जाने से वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 स्वीकार कर 6 राजी पत्नि महावीर जाति बैरवा निवासी देहित को प्रतिवादी बनाया गया। वादी द्वारा संशोधित ...